

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० /XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/ 2007

दिनांक: देहरादून: ६ अक्टूबर 2007

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-295/XXVII(8)/वाणिज्य कर (वैट)/2007 दिनांक 01 जून, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करने की राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची- II (ख) के क्रमांक 136 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्-

"136. हुक्का तम्बाकू को छोड़कर अनिर्मित (अनमैन्यूफैक्चर्ड) तम्बाकू, बीड़ी और बीड़ी के उत्पादन में प्रयुक्त तम्बाकू।"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 596/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से, कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों और करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित, कि इसे असाधारण मजद में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-गार्ड फाईल हेतु।

विधि

उपरोक्त कार्यवाही करें

उत्तराखण्ड शासन

8926

9-10-07

Notification CSS/DT/14

आज्ञा से,

(सी०एस०संगवाल)
अपर-सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 596/XXVII(8)/Vanijya Kar/2007 dated 5 September, 2007 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

VITTA VIBHAG

NO. 596 /XXVII(8)/Vanijya kar/(VAT)2007

DEHRADUN: DATED: 5 September, 2007


NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal (Now Uttarakhand) Value Added Tax Act, 2005 (Act No.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification No. 295/XXVII(8)/Vanijya Kar/2007 dated 01 June, 2007 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette:-

AMENDMENT

In Schedule -II (B) of the Uttaranchal (Now Uttarakhand) Value Added Tax Act, 2005, for the existing entry at serial no. 136, the following entry shall be substituted, namely-
"136. Unmanufactured Tobacco excluding Hukka Tobacco, Bidis and Tobacco used in the manufacture of Bidis."


(ALOK KUMAR JAIN)
Principal Secretary/Finance